राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्र. प.2(18)नविवि/5/2009 पार्ट–Viii   जयपुर दिनांक 12 JUN 2017

आदेश

राज्य स्तरीय सैंकशनिंग एण्ड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 27.4.2017 मे की गई अनुशंषा के अनुरूप अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, 2009 के अन्तर्गत विकसित योजनाओं में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. आवास जिनका आवंटन निरस्त हो चुका है अथवा ऐसे आवास जिनका आवंटन संबंधित निकाय द्वारा नहीं किया गया है, ऐसे आवासों के आवंटन की दर वर्तमान में मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के तहत निर्धारित दर 1200 रूपये प्रति वर्गफीट के समान रखे जाने का निर्णय लिया गया है। इस राशि में से रूपये 100 प्रति वर्गफीट संबंधित नगरीय निकाय एवं रूपये 50 प्रति वर्गफीट संधारण मद(Maintenance Fund) में रखे जाने के पश्चात् शेष रूपये 1050 प्रति वर्गफीट की दर से विकासकर्ता को देय होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

9/6/17

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
9. रक्षित पत्रावली।

9/6/17

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम